न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –33/2022

अनवान

कैलाश पिता श्री मांगीलाल, जाति बारेठ, पेशा काश्त, निवासी बोराव, थाना भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर पिता घीसा, जाति गाड़ोलिया लुहार, उम्र बालिग, निवासी बोराव तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. भैरू पिता घीसा, जाति गाड़ोलिया लुहार, उम्र बालिग, निवासी बोराव तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. नारायण पिता गोपी, जाति गाड़ोलिया लुहार, उम्र बालिग, निवासी बोराव तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. भगतराम पिता नारायण, जाति गाड़ोलिया लुहार, उम्र बालिग, निवासी बोराव तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. नाथु पिता नारायण, जाति गाड़ोलिया लुहार, उम्र बालिग, निवासी बोराव तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. शंकर पिता नारायण, जाति गाड़ोलिया लुहार, उम्र बालिग, निवासी बोराव तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. विष्णु पिता हजारी, जाति गाड़ोलिया लुहार, उम्र बालिग, निवासी बोराव तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. राजेन्द्र कुमार पिता श्री प्यारचंद रेगर, जाति रेगर, उम्र बालिग, निवासी गणेशपुरा, थाना भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. श्यामलाल पिता कूकाराम रेगर, जाति रेगर, उम्र बालिग, निवासी गणेशपुरा, थाना भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. वेणीराम पिता कूकाराम रेगर, जाति रेगर, उम्र बालिग, निवासी गणेशपुरा, थाना भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री लालचन्द प्रजापत अभिभाषक वादी
श्री पुखराज रावत अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2,4,5
श्री रईस अहमद मंसूरी अभिभाषक प्रतिवादी सं0 8 से 10
1 से 3 एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय दिनांक 05.06.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी ने आप न्यायालय श्रीमान् में एक संशोधित वाद पत्र प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया है, जो अवश्य ही वादी के पक्ष में निर्णित होगा जिसे निर्णय होने में समय लगने की संभावना है तथा वादी/प्रार्थी को तुरन्त रिलीफ की आवश्यकता होने से यह संशोधित प्रार्थना–पत्र धारा 212 रा0टि0 एक्ट का पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। मुझ प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात ग्राम बोराव, प0ह0 बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित होकर जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 77 व खसरा संख्या 288 पर दर्ज रिकॉर्ड है जिसके खसरा संख्या 314 रकबा 0.3000 हैक्टर व खसरा संख्या 315 रकबा 0.2500 हेक्टर दर्ज रिकॉर्ड होकर उक्त वर्णित आराजियात में खाता संख्या 77 में मुझ प्रार्थी व सह खातेदारी गोपाल, पप्पू मंजु पिता मांगीलाल का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है तथा खाता संख्या 288 में मुझ वादी प्रार्थी का हिस्सा 119/1000 हिस्सा व सह खातेदार गोपाल, पप्पू, मंजु पिता मांगीलाल का हिस्सा 1/4 तथा सहखातेदार विपक्षी संख्या 8 राजेन्द्र कुमार का 4/75 हिस्सा व विपक्षी संख्या 9 का 51/1000 हिस्सा व विपक्षी संख्या 10 बेणीराम का 2/75 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थी व सह खातेदार को अपने–अपने हक व हिस्से अनुसार हक व अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.06.23 15:01:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आराजियात पर व सह खातेदार अपने हक व हिस्से की आराजियात पर निर्विवाद रूप से खेती व उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी एवं सह खातेदारों को हक व अधिकार प्राप्त है इसके अलावा अन्य किसी दिगर को उक्त आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी अपने परिवार में विवाह होने के कारण प्रार्थी व उसका परिवार बाहर गया हुआ था कि पीछे से हमारे खाते की आराजियात पर विपक्षी संख्या 01 से लगाकर 07 एकमत होकर हमारे खेत की आराजियात में जबरन घुसकर अवैध कब्जा करने पर आमदा है जिसकी सूचना मेरे सह खातेदार द्वारा दी गई तो मैंने आकर देखा तो विपक्षी संख्या 01 से लगाकर 07 सभी ताकत व बल के दम पर मेरे खाते की आराजियात पर पत्थर डालकर कब्जा करने पर आमदा हो रहे है, मेरे द्वारा मना करने पर मरने–मारने पर आमदा हो गये, सभी ने अवैध गिरोह बना रखा है, तथा प्रार्थी की संयुक्त खाते की आराजियात पर अवैध कब्जा करना चाहते है। अंत मे प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की ग्राम बोराव की खाता संख्या 77 व 288 में अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी के हक व हिस्से की आराजियात पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप यरा अवैध कब्जा ना तो स्वयं करे, ना ही अपने अभिकर्ता, एजेण्ट या मजदूर आदि से करावे की निषेधाज्ञा जारी की जाए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2,4,5 की ओर से अधिवक्ता श्री पुखराज रावत ने मय वकालतनामा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र झूठे, मनगढंत एवं निराधार तथ्यों पर मनमकसूद तरीके से पेश किया जो न्यायालय श्रीमान मे चलने योग्य नहीं है तथा इसी स्टेज पर खारीज किये जाने योग्य है। वादी जिस आराजी नम्बर में अपनी कृषि आराजीयात होना बताया है वहां पर वर्तमान में कोई कृषि आराजीयात मौजूद नहीं है तथा वर्तमान में यह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादीगण जो गाडी लौहार है श्रीमान जिंला कलेक्टर महोदय के आदेश से लघु सीमान्त कृषक मानेते हुए निःशुल्क पटटे देकर भूखण्ड का कब्जा दिया गया है। प्रतिवादीगण को जहां कब्जा दिया गया है वर्तमान में वही मकान बनाकर निवास कर रहे है। प्रतिवादीगण ने कभी नाजायज अतिक्रमण कर जबरन किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है। प्रतिवादीगण को सन् 1993 व 1996 में ही ग्राम पंचायत बोराव में विधिवत रूप से पटटे जारी कर कब्जा सौपा तभी से प्रतिवादीगण जहां कब्जा एवं पटटा दिया गया वही पर लगातार अपना मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है। वादी को विधिवत आबादी भूमि में दिये गये पटटे के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान में वाद प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वादी चाहे तो इन पटटो के विरूद्ध श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय के यहां निगरानी पेश कर सकता है तथा सिविल कोर्ट में चाराजोंही कर सकता है। इस वाद पत्र को सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है इस कारण यह वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूराम देराश्री द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से पैरवी करने से इन्कार करने से पुनः सुचनार्थ अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नोटिस प्रोसेस जारी किए गए। प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1,3,6,7 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

अप्रार्थी संख्या 8 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रईस अहमद मंसूरी ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 में विपक्षी संख्या 8,9,10 के खातेदारी हिस्सा होना स्वीकार है। विपक्षी संख्यास 7,8,9 को अपने हक व हिस्से के सम्पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1,2,3,4,5 में वर्णित समस्त कथन प्रार्थी के कब्जे अनुसार उसके हक व हि... ...स्थिति बनाये जाने में विपक्षी संख्या 8,9,10 को किसी प्रकार का ... का हिस्सा बंटवारा हो रखा है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया निषे... ...में विपक्षी संख्या 8,9,10 को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6,7,8 न्यायसंगत होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.06.23 15:01:20 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार सरकार प्रकरण मे फॉर्मल पार्टी होने से व राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाब बन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की ....

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आराजियात ग्राम बोराव, प0ह0 बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित होकर जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 77 खसरा संख्या 288 पर दर्ज रिकॉर्ड है जिसके खसरा संख्या 314 रकबा 0.3000 हैक्टर व खसरा संख्या 315 रकबा 0.2500 हेक्टर दर्ज रिकॉर्ड होकर उक्त वर्णित आराजियात में खाता संख्या 77 में मुझ प्रार्थी व सह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपने परिवार में विवाह होने के कारण प्रार्थी व उसका परिवार बाहर गया हुआ था कि पीछे से हमारे खाते की आराजियात पर विपक्षी संख्या 01 से लगाकर 07 एकमत होकर हमारे खेत की आराजियात में जबरन घुसकर अवैध कब्जा करने पर आमदा है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की ग्राम बोराव की खाता संख्या 77 व 288 में अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थी के हक व हिस्से की आराजियात पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप यरा अवैध कब्जा ना तो स्वयं करे, ना ही अपने अभिकर्ता, एजेण्ट या मजदूर आदि से करावे। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी संख्या 2,4,5 ने प्रार्थी के निवेदन का खण्डन कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब अनुसार निवेदन किया है कि वादी जिस आराजी नम्बर में अपनी कृषि आराजीयात होना बताया है वहां पर वर्तमान में कोई कृषि आराजीयात मौजूद नहीं है तथा वर्तमान में यह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादीगण जो गाडी लौहार है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से लघु सीमान्त कृषक मानेते हुए निःशुल्क पटटे देकर भूखण्ड का कब्जा दिया गया है। प्रतिवादीगण को जहां कब्जा दिया गया है वर्तमान में वही मकान बनाकर निवास कर रहे है। तथा अप्रार्थी संख्या 8 से 10 द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है तथा इकबाले जवाब प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में सहमति व्यक्त की है।

–:आदेश:–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम बोराव, प0ह0 बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित होकर जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 77 व खाता संख्या 288 पर दर्ज रिकॉर्ड है जिसके खसरा संख्या 314 रकबा 0.3000 हैक्टर व खसरा संख्या 315 रकबा 0.2500 हेक्टर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के सहखातेदार के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी विवादित आराजीयात में सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण के पश्चात ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अपने अपने आराजी मे काश्त, अन्य कार्य करे व उक्त विवादित आराजीयात की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.06.23 15:01:20 IST
Reason: SelfAttested